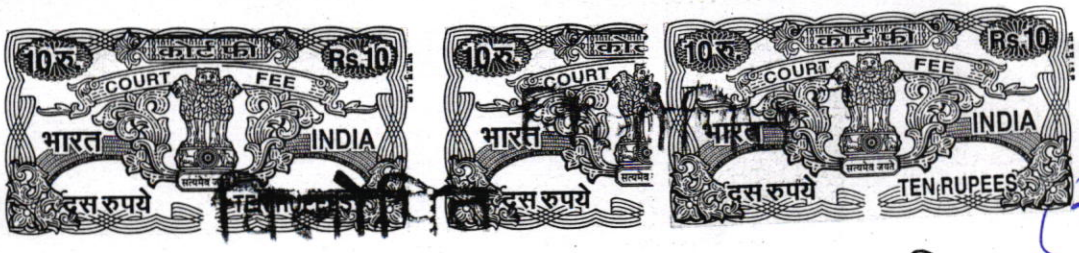

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– सुखलाल तनय दिविया सौंर,

निबासी ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

2– मुन्ना तनय दिविया सौंर,

निबासी– ग्राम गांधीग्राम, तहसील जतारा जिला टीकमगढ़,

..............आवेदकगण

वनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़,

2– राजधर तनय हल्के यादव (फौत) वारिस,

अ– अमृतलाल तनय राजधर यादव ,

ब– जयराम तनय राजधर यादव,

स– सुखराम तनय राजधर यादव,

द– रामचरण तनय राजधर यादव,

ई– प्रकाश तनय राजधर यादव,

निबासी– अनंतपुरा, तह0 एवं जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी, न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 08 / अपील / 1981–82 में पारित आदेश दिनांक 07 / 06 / 1982 से परिवेदित होकर कर रहा है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2564 /L/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **सुखलाल सौंर व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.9.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण की ओर से उनके बिद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी, अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 08/अपील/81–82 में पारित आदेश दिनांक 07/06/1982 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय के दस्तावेजों की प्रामणित प्रतिलिपियां/छायाप्रतिलिपियां सूची अनुसार प्रस्तुत कीं हैं। 2– आवेदकगण की ओर से निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र भी मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण के बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। प्रकरण में विधि का प्रश्न निहित होने तथा बिलंब का समाधानप्रद एवं पर्याप्त कारण होने के कारण बिलंब माफ करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 3– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता दिविया तनय मुकुन्दा सौंर के नाम पर ग्राम तखा में भूमि, खसरा नंबर 46 लगायत 58 (नम्बर 51 को छोड़कर) दर्ज थीं, उपरोक्त भूमि के 1/6 हिस्सा यानि कि 06–07 एकड़ की नीलामी तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा विधि विरूद्व तरीके से की गई थी, जिसे अनावेदक कमांक 02 राजधर यादव द्वारा कय किया गया था। जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा संहिता की धारा 107 ए के तहत सुनवाई में लेकर दिनांक 22/10/1981 को एक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 2564/I/2016 आदेश पारित करके तहसीलदार का आदेश एवं नीलामी निरस्त कर दी थी तथा भूमि के अंतरण का अबैध घोषित कर दिया था। जिसके विरूद्व एक अपील अनावेदक कमांक 02 द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा प्रकरण 08/अपील/1981–82 पर दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 07/06/1982 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया तथा गाईड लाईन के अनुसार अंतर की राशि आवेदकगण के पिता को अदा करने का आदेश पारित कर दिया था। जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26/03/1984 को आदेश पारित करके शासकीय कीमत की अंतर की राशि रूपया 3336/– आवेदक के पिता को अनावेदक कमांक 02 द्वारा अदा करने का आदेश पारित कर दिया था। जिसके पालन में अनावेदक कमांक 02 या उसके बारिसों से आवेदक के पिता को ना तो अंतर की राशि ही प्रदान कराई गई ना ही वाद भूमि की नीलामी ही निरस्त की गईं। कलेक्टर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से ही परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार दिविया तनय मुकुन्दा सौंर के नाम से ग्राम तखा में पैरा 02 में दर्शाई गई भूमियां भूमि–स्वामी हक में दर्ज थीं। जिसमें से 1/6 हिस्सा भूमि तहसीलदार द्वारा शासकीय कर्ज अदा न करने के कारण नीलाम कर दी थी। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्र0कग0 335/बी121/80–81 में पारित आदेश दिनांक 22/10/1981 को तहसीलदार का नीलामी संबंधी आदेश निरस्त कर दिया था। जिसकी अपील कलेक्टर के समक्ष करने पर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त आदेश निरस्त करके नीलामी राशि एवं गाईड लाईन की राशि के अंतर की राशि अनावेदक क0 02 से आवेदकगण को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया था। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(3) निगरानी प्रकरण क्रमांक 2564/I/2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, उनके द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है एक पक्षीय ओदश पारित किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व ही दिबिया फौत हो चुका था। 5– आवेदकगण के पिता दिबिया सौंर अनुसूचित जनजाति के ब्यक्ति थे, संहिता की धारा 165/6 के अनुसार *"खंड एक के अधीन अधिसूचना में बिनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे ब्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्व किये जाने बाले कारणों से दी जाबेगी, बिक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संब्यवहार के परिणाम स्वरूप ना तो अंतरित किया जाबेगा ना ही अंतरणीय होगा।"* तहसीलदार द्वारा उपरोक्त नीलामी के पूर्व कलेक्टर से ना तो अनुमति प्राप्त की ना ही अनुमोदन लिया गया। 6– मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 167/6(7)(ख) के अनुसार –: " किसी ऐसी जनजाति के , जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमि स्वामी के खाते में समाबिष्ट कोई भूमि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी।" जिससे स्पष्ट है कि जो तहसीलदार द्वारा आदिबासी ब्यक्ति की भूमि की नीलामी की गई है, वह विधि विरूद्व तरीके से की गई है, जिसे निरस्त करके अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी। बाबूलाल वनाम अशरफ 1983 रानि 167 में हाई कोर्ट ने भी इसी प्रकार की ब्यवस्था प्रदान की गई है। 7– अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07/06/1982 में आवेदकगण के पिता को अंतरित भूमि के बाजार मूल्य एवं नीलामी की राशि के अंतर को अदा कराने का आदेश पारित किया गया था जो कि विधि विरूद्व	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(4) निगरानी प्रकरण क्रमांक 2564/I./2016 था क्योंकि वह आदेश अंतरण के बाद अनुमति प्रदान करने की श्रेणी में आता है, जिसे करने का उन्हें क्षेत्राधिकार ही नहीं था। उन्हें मात्र यह देखना था कि जो नीलामी तहसीलदार द्वारा की गई है, वह विधिवत है कि नहीं। जो जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत है कि नहीं। उन्हें अपनी ओर से आदेश संशोधित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। उपरोक्त बिवेचना से स्पष्ट है कि अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है , कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/06/1982 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 335/बी121/80–81 में पारित आदेश दिनांक 22/10/1981 बहाल किया जाता है। उपरोक्त आदेश दिनांक 22/10/1981 बहाल होने से नीलामी स्वतः निरस्त हो गई है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि, प्रकरण की वादभूमि का कब्जा शासन के पक्ष में लेकर पूर्ववत आवेदक दिबिया के फौत होने की दशा में उसके बिधिक बारिसानों को प्रदान किया जाबे, तथा वादभूमि दिबिया के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करके उसके सभी विधिक वारिसानों के नाम पर राजस्व अभिलेख में पूर्ववत दर्ज की जाबे। संबंधित केता/अनावेदक 02 के बारिश यदि चाहें तो माननीय व्यवहार न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत करके आवेदकगण से नीलामी की राशि वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही विधि अनुसार करने वावद स्वतंत्र हैं। संबंधित तहसीलदार आदेश का पालन करें। पक्षकार सूचित हो। राजस्व मंडल का यह प्रकरण परिणम दर्ज करके दा0 द0 हो। सदस्य	